प्रेस विज्ञप्ति

***जनपद-संतकबीरनगर ***

दिनांक 30.05.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** वारण्टी नाम पता 1. उमेश पुत्र जगदीश उर्फ विपत निवासी बालूशासन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सूर्यभान यादव, का0 संदीप यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना को0खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5261 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5261 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत अलीनगर से कालर द्वारा ट्रैक्टर व कार में टक्कर होने के कारण 01 महिला (इमरती देवी पत्नी कोमल यादव ग्राम अलीनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त महिला को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहाय्रता से सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल महिला को ईलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 प्रमोद कुमार, हो0चा0 अवधेश कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 68 वाहनों से 65,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 68 वाहनों से 65,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 6000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 30.05.2025 को न्यायालय – **सीजे(एसडी)/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 412/2006 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त साबिर पुत्र मुस्तकीम निवासी खजुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामले में जेल में बितायी गई अवधि व 6000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।